

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-10102020-222366
SG-DL-E-10102020-222366

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 212]	दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 10, 2020/आश्विन 18, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 159
No. 212]	DELHI, SATURDAY, OCTOBER 10, 2020/ASVINA 18, 1942	[N. C. T. D. No. 159

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 10 अक्टूबर, 2020

सं. फा. डीसी/आप्स/टीपीटी/2020/75/57917.—केंद्रीय मोटर वाहन नियमों, 1989 के नियम 81 की शक्तियों का, केंद्र सरकार द्वारा की गयी अधिसूचना दिनांक 21/03/2017, सा.का.नि. 271(अ), खंड 2 (i) जो भारत सरकार के राजपत्र भाग-II, खण्ड 3 (i) में प्रकाशित हुई थी, जिसका प्रयोग करते हुए दिल्ली मोटर वाहन नियमों, 1993 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप दिल्ली राजपत्र में इस अधिसूचना की प्रकाशन तिथि से 03 दिन की अवधि बीतने के बाद निर्धारित अवधि तक इस संबंध में प्राप्त होने वाली/वाले किन्हीं आपत्तियों या किन्हीं सुझावों के साथ-साथ विचार किया जाएगा।

इस संबंध में आपत्तियां या सुझाव सचिव एवं आयुक्त (परिवहन), परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, 5/9, अंडर हिल रोड, दिल्ली - 110054 को भेजे जाने चाहिए।

प्रारूप नियमावली

- | | | | |
|--------------------------------------|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ | 1 | 1) | इन नियमों को दिल्ली मोटर वाहन (संशोधन) नियमावली (..... संशोधन) नियम, 2020 कहा जाएगा। |
| | | 2) | ये दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा। |
| नया नियम 37 ए अन्तःस्थापित नियम 37 ए | 2 | 1) | दिल्ली मोटर वाहन नियम, 1993 में नियम 37 के बाद निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाएगा :- |
| | | 2) | केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 81 के स्तम्भ 3 में क्रम संख्या 4 पर निर्धारित पंजीकरण शुल्क, बैटरी चलित वाहनों जैसा कि केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में परिभाषित है, पर लागू नहीं होगा। |
| | | 3) | इन नियमों में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 81 की फीस तालिका में क्रमशः क्रमांक 6, 7 और 11 में निर्दिष्ट मोटर वाहनों के लिए स्वामित्व के हस्तांतरण में देरी, निवास स्थान में परिवर्तन तथा फिटनेस के प्रमाणपत्र के अनुदान या नवीनीकरण में देरी होने पर अतिरिक्त शुल्क के लिए किसी व्यक्ति या किसी वर्ग के व्यक्ति को छूट देने का आदेश आयुक्त द्वारा दिया जा सकता है। |

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
के. के. दहिया, विशेष सचिव (परिवहन)

TRANSPORT DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 10th October, 2020

F. No. DC/OPS/TPT/2020/75/57917.—The following draft of rules, further to amend Delhi Motor Vehicles Rules, 1993, which are proposed to be made in exercise of powers given under rule 81 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 by Central Government vide notification dated 21st March 2017, G.S.R 271(E), clause 2(i) published in gazette of Part II, section 3 (i), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after expiry of a period of three days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of Delhi are made available to the public.

Objections or suggestions in this behalf should be addressed to Secretary-cum-Commissioner (Transport), Government of National Capital Territory of Delhi, Transport Department, 5/9, Under Hill Road, Delhi-110054.

DRAFT RULES

- | | | | |
|-------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Short Title and Commencement | 1 | (1) | These rules may be called the Delhi Motor Vehicles (Amendment.....) Rules, 2020. |
| | | (2) | They shall come into force on the date of their final publication in the Delhi Gazette. |
| Insertion of new Rule 37A | 2 | (1) | In the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993 after Rule 37, following shall be inserted namely :- |
| Rule 37 A | | (2) | The Registration fee prescribed at Serial No.4 in the Column 3 of the Table given in Rule 81 of Central Motor |

Vehicles Rules, 1989 shall not be applicable on Battery Operated Vehicles as defined in Central Motor Vehicles Rules, 1989.

(3) Notwithstanding anything contained in these rules, the Commissioner may by order exempt a person or a class of persons from the payment of additional fee for delay in transfer of ownership, change of residence and delay in grant or renewal of certificate of fitness for a motor vehicle as specified in the table of fees in Rule 81 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, at Serial No. 6, 7 and 11 respectively.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
K. K. DAHIYA, Spl. Secy. (Transport)